विधान सभा प्रश्न क्र. 2758 21.3.23 के भाग (ख) की जानकारी।

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
प्रश्न सं. [क्र. 2758]
::आदेश::

परिशिष्ट-एक [21/3/2023]

भोपाल, दिनांक 11/5/16

क्रमांक एफ 27–3/2012/20–2:: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19 के अंतर्गत विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16.01.2012 एवं दिनांक 13.03.2013 द्वारा कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा देने वाले स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना संरचना स्वीकृत की गई है।

2/ उक्त आदेश में उल्लेखित पद संरचना को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा देने वाले स्कूलों में निम्नानुसार शिक्षकों की पदस्थापना की संरचना स्वीकृत करता है:–

(क) शिक्षकों की संख्या:– माध्यमिक शाला में शिक्षकों की संख्या, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार होगी, अर्थात

1. न्यूनतम तीन शिक्षक (प्रत्येक कक्षा के लिए एक)
2. 35 बच्चों पर न्यूनतम एक शिक्षक

(ख) विषयवार संख्या:– छात्र–शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षकों की विषयवार संख्या निम्नानुसार होगी:–

(i) प्रथम तीन शिक्षक

1. विज्ञान एवं गणित (गणित विषय सहित विज्ञान)
2. भाषा (अंग्रेजी)
3. ~~सामाजिक विज्ञान~~

(ii) छात्र–शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों की संख्या अधिक होने पर

4. भाषा (संस्कृत/उर्दू/मराठी/गुजराती)
5. विज्ञान (जीव विज्ञान)
6. सामाजिक विज्ञान (हिन्दी विषयक सहित सामाजिक विज्ञान)

(iii) यदि छात्र–शिक्षक अनुपात अनुसार शिक्षकों की संख्या 6 से अधिक हो तो शिक्षक पद की पूर्ति के लिए उपरोक्त कम की पुनरावृत्ति होगी।

(ग) माध्यमिक शाला में शिक्षक की पद स्थापना से तात्पर्य संबंधित विषय/विषय समूह में स्नातक से होगा। उक्त संरचना का अर्थ कदाचित पद निर्मित होना नहीं है। पद निर्माण की स्वीकृति पृथक से जारी की जावेगी, जिसके उपरांत ही स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर पद पूर्ति की कार्यवाही की जावेगी।

493/Com/2016
10.5.16

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रमोद सिंह) 11/5/16
उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 27–3/2012/20–2 भोपाल, दिनांक 11/5/16

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मान. मंत्री/राज्यमंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल
5. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र/आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल
6. समस्त संभागीय आयुक्त, म0प्र0
7. समस्त कलेक्टर, म0प्र0
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म0प्र0
9. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म0प्र0
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक, म0प्र0

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. आर्डर बुक।

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

::राकेश मुले::